Transform Rural India

संदर्भ पुस्तिका | Ready Reckoner

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025

Viksit Bharat: Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G Act, 2025)

विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) • मनरेगा (MGNREGA, 2005) का स्थान लेने वाला नया कानून

यह क्या है? | What is it?

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार का नया केंद्रीय कानून है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कर दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह **मनरेगा**, 2005 **का स्थान** लेता है और रोजगार गारंटी को टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ता है।

A new central law replacing MGNREGA 2005, assented December 2025. It links guaranteed wage employment with durable rural infrastructure under the Viksit Bharat 2047 vision

झारखंड में लागू: 1 जुलाई 2026 से — ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना द्वारा पूरे राज्य में प्रभावी। Effective across Jharkhand from 1 July 2026 by RDD notification.

125 दिन	₹300/दिन	15 दिन
प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी Days guaranteed employment per household/year	झारखंड में अकुशल मजदूरी दर (घोषित) Announced unskilled daily wage in Jharkhand	काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देय Unemployment allowance if no work in 15 days

कार्यों के 4 प्राथमिकता क्षेत्र | Four Priority Verticals of Works

अब सभी कार्य इन चार क्षेत्रों (वर्टिकल्स) में ही लिए जाएंगे:

जल सुरक्षा	मूल ग्रामीण अवसंरचना	आजीविका अवसंरचना	चरम मौसम शमन
Water security जल संरक्षण, तालाब, रिचार्ज, सिंचाई	Core rural infrastructure सड़क, संपर्क, सामुदायिक संपत्ति	Livelihood infrastructure भंडारण, बाज़ार, उत्पादक परिसंपत्तियां	Extreme weather mitigation बाढ़ निकासी, जल संचयन, मृदा संरक्षण

याद रखें: वर्ष में **60 दिनों की कृषि-कार्य अवधि** (बुआई/कटाई के पीक सीज़न) में सार्वजनिक कार्य स्थगित रहेंगे — शेष 305 दिनों में 125 दिनों की गारंटी पूरी की जाएगी। An aggregated 60-day no-work window protects farm labour supply; the guarantee is met within the remaining 305 days.

मुख्य प्रावधान | Key Provisions

1. रोजगार व मजदूरी | Employment & Wages

- **125 दिन** प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष — इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा अकुशल शारीरिक कार्य हेतु। (Up from "at least 100 days" under MGNREGA.)
- मजदूरी भुगतान **साप्ताहिक,** अधिकतम **पखवाड़े (15 दिन)** के भीतर अनिवार्य। डिजिटल (आधार-आधारित) भुगतान व बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू।
- काम मांगने के **15 दिनों** के भीतर काम न मिलने पर **बेरोजगारी भत्ता** देय — दायित्व राज्य सरकार का; दरें/शर्तें नियमों से तय होंगी।

2. महिलाओं के लिए | For Women

- श्रम कार्य में कम से कम **50 प्रतिशत भागीदारी** महिलाओं की अनिवार्य।
- **महिला-प्रधान परिवारों व एकल महिलाओं** के लिए विशेष जॉब कार्ड; महिलाओं के लिए **अलग अनुसूची दर** (SoR)।
- कार्यस्थल पर **5+ बच्चे** (5 वर्ष से कम) होने पर **क्रेच/पालना सुविधा।**

3. नियोजन | Planning

- ग्राम पंचायत स्तर पर **विकसित ग्राम पंचायत योजना** (VGPP) तैयार होगी; **पीएम गति शक्ति** से स्थानिक एकीकरण।
- सभी परिसंपत्तियां **विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक** में दर्ज।

4. संस्थागत ढांचा | Institutions

- केंद्रीय व राज्य **ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें;** राष्ट्रीय/राज्य **संचालन समितियां** — नीति, अभिसरण, समीक्षा।
- **पंचायती राज संस्थाएं** नेतृत्व करेंगी; लागत के आधार पर कम से **कम 50% कार्य ग्राम पंचायतें** करेंगी।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) व कार्यक्रम पदाधिकारी (PO) — नियोजन, अनुपालन, भुगतान, सोशल ऑडिट।

पारदर्शिता | Transparency

- **NMMS द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति**, GPS/जियो-टैगिंग, मोबाइल व डैशबोर्ड आधारित रीयल-टाइम निगरानी; गड़बड़ी की पहचान हेतु AI **आधारित** प्रणाली।
- **साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण** (weekly public disclosure); ग्राम सभा द्वारा **हर 6 माह में कम से कम एक सोशल ऑडिट** अनिवार्य।
- केंद्र को जांच, **फंड रोकने** व सुधारात्मक निर्देश देने की शक्ति।

6. वित्त पोषण | Funding

- **केंद्र प्रायोजित योजना** (CSS): केंद्र–राज्य 60:40; पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य 90:10; बिना विधानमंडल वाले UT 100% केंद्र।
- **नॉर्मेटिव (मानक) आवंटन** — केंद्र वस्तुनिष्ठ मानकों पर राज्यवार आवंटन तय करेगा।
- प्रशासनिक व्यय सीमा **6% से बढ़ाकर 9%** — स्टाफ, प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता हेतु।

फील्ड स्टाफ के लिए अर्थ: काम की मांग दर्ज करना, पावती (dated receipt) देना, बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करना, समय पर मस्टर रोल बंद कर भुगतान प्रक्रिया पूरी करना — यही आपकी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों का मूल है। Record work demand, issue receipts, ensure biometric attendance, close muster rolls on time for weekly payment.

मनरेगा बनाम वीबी-जी राम जी | MGNREGA vs VB-G RAM G — What Changed?

विषय/Subject	मनरेगा, 2005 (पुराना)	वीबी-जी राम जी, 2025 (नया)
रोजगार गारंटी / Guarantee	कम से कम 100 दिन प्रति परिवार	125 दिन प्रति परिवार
कार्य अवधि / Work window	वर्ष भर मांग आधारित	60 दिनों की कृषि पीक-सीज़न विराम अवधि; शेष 305 दिनों में गारंटी
कार्यों का दायरा / Works	अनुमत कार्यों की लंबी खुली सूची; ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकतानुसार चयन	केवल 4 प्राथमिकता वर्टिकल — जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना, चरम मौसम शमन
वित्त पोषण / Funding	केंद्रीय क्षेत्र योजना; मांग-आधारित (राज्यों के लेबर बजट पर)	केंद्र प्रायोजित योजना; नॉर्मेटिव आवंटन; केंद्र:राज्य 60:40 (NE/हिमालयी 90:10, UT 100%)
मजदूरी भुगतान / Wage payment	15 दिनों के भीतर (विलंब सामान्य)	साप्ताहिक भुगतान; अधिकतम पखवाड़ा; झारखंड में ₹300/दिन घोषित
बेरोजगारी भत्ता / Unemp. allowance	15 दिनों बाद देय; दरें कानून में निर्धारित (1/4 व 1/2 मजदूरी)	15 दिनों बाद देय; दायित्व राज्य पर; दरें/शर्तें नियमों से तय
महिला भागीदारी / Women	न्यूनतम 1/3 प्राथमिकता	न्यूनतम 1/3 अनिवार्य + विशेष जॉब कार्ड, महिला SoR, क्रेच सुविधा; श्रम कार्य में 50 प्रतिशत
नियोजन / Planning	ग्राम पंचायत वार्षिक कार्ययोजना/लेबर बजट	विकसित ग्राम पंचायत योजना + पीएम गति शक्ति एकीकरण + नेशनल रूरल इंफ्रा स्टैक
प्रशासनिक व्यय / Admin cost	अधिकतम 6%	बढ़ाकर 9% — स्टाफिंग, मानदेय, प्रशिक्षण हेतु
निगरानी / Monitoring	MIS, जियो-टैगिंग, सोशल ऑडिट (वार्षिक अपेक्षित)	बायोमेट्रिक + AI + GPS + साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण + हर 6 माह सोशल ऑडिट + फंड रोकने की शक्ति

जो नहीं बदला: रोजगार का **कानूनी अधिकार** बरकरार है — पंजीकृत परिवार को मांगने पर काम या बेरोजगारी भत्ता मिलना ही है। जॉब कार्ड, ग्राम सभा की भूमिका और सोशल ऑडिट की व्यवस्था जारी रहेगी। The statutory right to work-on-demand (or allowance) continues; job cards, Gram Sabha role and social audit remain.

फील्ड नोट: पुराने मनरेगा जॉब कार्ड/परिसंपत्तियों के स्थानांतरण (migration), नई SoR व मस्टर रोल प्रारूपों पर राज्य के विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी होंगे — तब तक वर्तमान प्रक्रिया व वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन करें।

झारखंड: विशेष प्रावधान व प्राथमिकता योजनाएं | Jharkhand Focus

1 जुलाई 2026	125 दिन	₹300/दिन
से राज्य में लागू Effective date in Jharkhand	का रोज़गार Guranteed employment	अकुशल मजदूरी दर (घोषित) announced unskilled wage

राज्य की प्रमुख अभिसरण योजनाएं — अब 4 वर्टिकल्स के अनुरूप | State flagship schemes mapped to the four verticals

बिरसा हरित ग्राम योजना [आजीविका अवसंरचना]

निजी/सामुदायिक भूमि पर फलदार वृक्षारोपण (आम, अमरूद आदि) — SC/ST, भूमिहीन व गरीब परिवारों को बागवानी से स्थायी आय; ब्लॉक व लीनियर प्लांटेशन।
Fruit-bearing plantations on private/common land for SC/ST & landless families.

नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना योजना [मूल ग्रामीण अवसंरचना]

जल संरक्षण संरचनाएं — SCT, खेत तालाब, नाला पुनर्जीवन, भू-जल रिचार्ज; सूखा-प्रवण क्षेत्रों में प्राथमिकता।
Water conservation — SCT, farm ponds, stream rejuvenation, groundwater recharge.

दीदी बाड़ी योजना [आजीविका / पोषण]

घर के पास पोषण वाटिका (किचन गार्डन) — SHG दीदियों/परिवारों की खाद्य व पोषण सुरक्षा।
Nutrition kitchen-gardens with SHG women — food & nutrition security.

Note: These ran as MGNREGA-convergence schemes; continuation/realignment under VB-G RAM G will follow detailed state guidelines.

मनरेगा के तहत मुख्य उपलब्धियां | Key achievements under MGNREGA

1. **'बिरसा हरित ग्राम योजना'** के तहत फलों की बागवानी में 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया और 1.86 लाख एकड़ बंजर/परती भूमि को खेती के लायक बनाया गया।
2. **'बिरसा हरित ग्राम योजना'** के तहत 50,000 से ज़्यादा किसानों को कार्बन फाइनेंस रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इन किसानों को अगले साल से आगामी 20 वर्षों तक आर्थिक लाभ मिलना मिलेगा। यह देश में अपनी तरह का पहली परियोजना है।
3. झारखंड के आमों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। आमों का निर्यात UK, UAE और मध्य पूर्व जैसे देशों में किया गया है। साथ ही संस्थागत खरीददारों के माध्यम से आम की बिक्री की गयी है और किसानों को बेहतर मूल्य मिला है।
4. **'बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन'** के तहत सिंचाई के लिए लगभग 70,000 नए कूप बनाए गए हैं। इस हेतु राज्य सरकार ने मनरेगा के प्रावधानों से अतिरिक्त रु. 50 हज़ार की राशि प्रति कूप वितीय सहायता की है।
5. कोविड के बाद पूरे राज्य में लंबे समय तक चलने वाले आजीविका संसाधन बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया गया है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फारेस्ट मैनेजमेंट भोपाल ने इस सम्बन्ध में शोध किया है एवं राज्य में निर्मित परिसंपत्तियों द्वारा ग्रामीण परिवारों को **"मजदूर से मालिक"** बनने में सहायक बताया है।
6. पिछले 5 सालों में मानव दिवस सृजन महिलाओं की भागीदारी 41% से बढ़कर 52% हो गई है। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे हस्तांतरित करने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
7. पिछले वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ 'मानव दिवस' सृजित किए गए हैं। मनरेगा की शुरुआत के बाद से यह एक रिकॉर्ड है।
8. राज्य में मनरेगा से 'विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण' का सफलतापूर्वक बदलाव।

अस्वीकरण / Disclaimer: यह पत्रक केवल प्रशिक्षण व त्वरित संदर्भ हेतु है। किसी भी विसंगति की स्थिति में अधिनियम का राजपत्र पाठ, केंद्र/राज्य सरकार की अधिसूचनाएं व ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड के आधिकारिक दिशा-निर्देश ही मान्य होंगे।
For training/reference only; the gazetted Act and official notifications prevail.